न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला– अशोक नगर

1. श्याम पाल सिंह पुत्र राजधर सिंह
2. शिवकुमार सिंह पुत्र राजधर सिंह

निवासी – ग्राम वायगां तहसील ईशागढ जिला अशोक नगर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. केदार सिंह पुत्र संग्राम सिंह यादव

निवासी – ग्राम वायगां तहसील ईशागढ जिला अशोक नगर

2 म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 176 /2012–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, भूमि सर्वे न. 822 मिन रकवा 0.200 हैक्टयर भूमि का व्यवस्थापन अनावेदक क्रमांक 1 के हित में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकिया का पालन किये विना ही कर दिया गया था जव कि वह भूमि प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति नही थे क्योकि वह वडे कास्तकार है अतः ऐसी स्थिति में भूमि हीन की परिभाषा में नही आते है इस तथ्य पर विचार किये विना तहसील न्यायालय द्वारा जो व्यवस्थापन किया गया है अवैद्य एवं अनुचित है।

2– यहकि, तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अवधि वाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसमे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिस पर विचार किये विना अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा जो आदेश परिसीमा के विन्दु पर पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को प्रस्तुत की गयी थी जो मात्र इस आधार पर अमान्य कर दी गयी कि प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का है जिसमें द्वितीय अपील का प्रावधान नही है। अतः इसी कारण उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 963/तीन/2013 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	श्यामलाल कार्यवाही तथा आदेश केदार सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–02–18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0पी0 धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित हुए। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्र0क्र0 176/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3/ प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित किए गये है जिन्हें यहां पुनरांकित किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्को में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्को को ही दुहराया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का	

अवलोंकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा इस निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.01.2013 को अपास्त करने का ही अनुरोध किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा आवेदक की अपील मात्र इस आधार पर निरस्त की गयी है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–4 कमांक–3 की संशोधित कण्डिका 30 के अंतर्गत बंटन के आदेश के विरूद्ध एक ही अपील का प्रावधान है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत किए गये बंटन के विरूद्ध एक ही अपील का प्रावधान है जिसका लाभ आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाया गया है। द्वितीय अपील का प्रावधान न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील अग्राह्य करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 11.01.2013 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंमत होने से स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा0 रिकार्ड हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य

Rambeer/2018